न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 34/2023
जीसीएमएस : 2023/242

1. जयपाल पुत्र श्री गिरधारी राम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज0)।
2. रणजीत पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र श्रीशेर सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं0 8, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. गुरमेल सिंह पुत्र श्री धनीराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. अंकेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. अभिषेक पुत्र श्री उमाराम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
5. इन्द्राज पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
6. ओमप्रकाश पुत्र श्री मनफूलराम जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
7. रामेश्वरलाल पुत्र श्री हंसराज जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
8. राकेश कुमार श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता विमला देवी पत्नी श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
9. विकास कुमार श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा नाबालिग जरिये कुदरती वली माता विमला देवी पत्नी श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

—:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:—

उपस्थित अधिवक्ता:—

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई प्रार्थी अधि.।
2. श्री अनिल कुमार अप्रार्थी सं. 6 ता 9 अधि.।
3. श्री मोहनलाल बाना अप्रार्थी सं. 1—3 ता 5 अधि.।

——निर्णय—— **दिनांक 30.01.2026**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 48 एनपी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 141 में पत्थर नंबर 234/319 मुरब्बा नंबर 1 में अन्य किलाजात के अलावा किला नं0 2/2 की 0.192 है0 व 3 की 0.253 है0 भूमि अनावेदक श्रवणकुमार की इसी चक खाता सं. 44 में इसी प0नं0 व मुरब्बा में अन्य किलाजात के अलावा किला नंबर 2/1 की 0.061है0 भूमि अनावेदक गुरमेल सिंह की, इसी चक खाता सं. 8 के इसी पं.नं. व मु.नं. में अन्य किलाजात के अलावा किला नंबर 5 की 0.253है० बारानी अनावेदकगण अंकेश, अभिषेक व इन्द्राज की खातेदारी है। वाके चक 43 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता सं. 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

में पत्थर नंबर 233/319 मुरब्बा नंबर 12 के अन्य किलाजात के अलावा किला नंबर 1 की 0.228है0 भूमि अनावेदगण ओमप्रकाश, रामेश्वरलाल, राकेशकुमार व विकास कुमार की खातेदारी है। चक 48 एन.पी. के मुरब्बा नंबर 1 के किला नंबर 1–10–11–20 व 21 में आबादी भूमि है भारत–माला सड़क से जुडी हुई है आगे किला नंबर 2 व 3 की भूमि अनावेदकगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी आगे किला नंबर 4 श्मशान भूमि आगे किला नंबर 5 अनावेदकगण सं. 3 ता 5 की खातेदारी है, इसप्रकार आबादी 48 एन.पी. के मु.नं. 1 के किला नंबर 1 आबादी भूमि से होते हुये अनावेदकगण सं. 1 व 2 के किलाजात सं. 2 व 3 व आगे किला नंबर 4 गैर.मु. श्मशान से होते हुये आगे अनावेदकगण सं. 3 ता 5 के किला नंबर 5 से होते हुये, आगे अनावेदकगण संख्या 6 ता 9 की चक 43 एन.पी. की सीमा के मुरब्बा नंबर 12 के किला नंबर 1 के उतरी–पश्चिमी कोणा से आवेदक जयपाल अपनी मु.नं. 10 में वा आवेदक रणजीत मु.नं.10 के किला नंबर 21 ता 25 में चालू रास्ता से अपने मु.नं. 13 में स्थित भूमि में स्वंय कृषि यंत्र बड़ी कम्बाईन, बिड लगी बड़ी ट्रालिया, कल्टीवेटर आदि सहित प्रवेश करने के हकदार है, आवेदकगण के अलावा इस रास्ता स्वीकृति से काफी काश्तकारान लाभान्वित होगें तथा इस प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, सुगम, नजदीकी, सुविधाजनक रास्ता आवेदकगण को अपनी जोत में पहुंच के अलावा उपलब्ध नही होने से उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने का आवेदक कानूनी अधिकार रखता है, इसलिये यह आवेदन पेश किया जा रहा है।अतः आवेदन मय हल्फनांमा पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदकगण स्वीकार फरमाया जाकर उनकी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ अनावेदक सं. 1 श्रवणकुमार की धृति वाके चक 48 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 234/319 मुरब्बा नंबर 1 के किला नंबर 2/2 की 0.192 है0 व 3 की 0.253 है०. अनावेदक सं. 2 गुरमेल सिंह की धृति इसी चक व मुरब्बा के किला नंबर 2/1 की 0.061है0, अनावेदकगण सं. 3 ता 5 अंकेश, अभिषेक व इन्द्राज के इसी चक व मुरब्बा के किला नंबर 5 की 0.253है0 में से दो–दो बिस्वा उतरी पासा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें तथा स्वीकृत किये जाने वाले रास्ता को चक 43 एन.पी. के मु0नं0 10 के किला नंबर 21 से जोड़ने के लिये अनावेदकगण संख्या 6 ता 9 ओमप्रकाश, रामेश्वरलाल, राकेशकुमार व विकास कुमार राकेश कुमार की धृति वाके चक 43 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 233/319 मुरब्बा नंबर 12 के किला नंबर 1 की 0.228 है0 में से तादादी 16.5 × 16.5 वर्गफुट पश्चिमी उतरी कोणा से भूमि रास्ता घुमाव के लिये रास्ता के तोर पर स्वीकृत फरमायी जावें। आवेदकगण समूचित मुआवजा देने को तैयार है।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका रिपोर्ट के लिए पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या [illegible] की तरफ से श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता ने जबाब [illegible] पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी जोत में से रास्ता प्राप्त (स्वी[illegible]) करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने खाता सं0 32 [illegible] अपनी जोत में जाने के लिए रास्ता की मांग की गई है पर[illegible] खाता सं0 32

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

के समस्त खातेदारान द्वारा मांग नहीं की गई हैं। मुरब्बा नं0 10–13 चक 43 एनपी में आने के लिए रास्ता की मांग चक 48 एनपी के मु0 नं0 1 के किला नं0 1 से 5 में मांग की जा रही है जो बिलकुल गलत है क्योंकि यह भूमि दुसरे चक की है तथा मु0 नं0 1 व 12 के मध्य पक्का खाला बना हुआ है जो काफी ऊँचाई का है जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली लोढ वाला आने–जाने में काफी कठिनाई होगी। चक 43 एनपी के मु0 नं0 11 के किला नं0 21 से 25 दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन पर स्वीकृत किया जावे तो कोई मोड नहीं होगा ना ही कोई खाला होगा प्रार्थीगण अपनी जोत में आराम से आ जा सकेगें। अतः जबाब दर पेश करके अर्ज है कि न्याय हित में प्रार्थीगण के आने जाने लिए इसी चक के मु0 नं0 11 के किला नं0 21 से 25 में रास्ता का प्रस्ताव मंगवाया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/678 दिनांक 06.02.2024 की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 48 एनपी के मु० 1 के कि०नं0 1–10–11–20–21 में ग्राम भोमपुरा की आबादी बसी है। जिसमें कि०न० 1 में उतरी पश्चिम सीमा की तरफ रास्ता चालू है, लेकिन स्वीकृत नहीं है। कि०न0 2/1–9/1–12/1–19/1 कुल 0.244 हैं० गुरमेल सिंह पुत्र धन्नी राम जाति जटसिख के नाम खातेदारी दर्ज है व कि0न0 2/2–3–8–9/2–12/2–13–18–19/2–22–23 कुल 2.286है0 बारानी भूमि श्रवण कुमार पुत्र शेर सिंह जाति जाट निवासी रायसिंहनगर खातेदार रिकार्ड दर्ज है। कि0न0 4/0.253 है0 शमशान भूमि दर्ज है तथा कि०न0 5 में 0.253है० अंकेश कुमार–अभिषेक कुमार वगैरा के नाम खातेदारी दर्ज है। मुताबिक मौका प्रार्थियान की भूमि चक 43 एनपी के मु0न0 10 कि0न0 13/2 ता 25 कुल 3.038है० तथा मु० 13 के कि०न० 1 ता 3–8 ता 13/1–19 ता 22 कुल 3.162 है० भूमि में आवागमन हेतु गांव से कोई रास्ता नहीं है ना ही कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग आवागमन हेतु वर्तमान में चल रहा है। प्रार्थियान की मांग अत्यंत आवश्यक श्रेणी की है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग सुविधा मात्र के लिये नहीं है। प्रार्थीयान को नवीन मार्ग चक 48 एनपी के मु०न० 1 के कि०न० 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है0 कुल 0.125 है0 बारानी से रास्ता स्वीकृत करने की मांग उचित है, इससे प्रार्थीयान को रास्ता खेत के अन्तिम छोर तक मिल सकेगा। इसके अलावा चक 43 एनपी के मु०न० 10 कि0न0 1–10–11–20–21 प्रत्येक में 0.025 है० रास्ता भी वैकल्पिक रूप से स्वीकृत किया जा सकता है, इससे भी प्रार्थीयान की खेत तक पहुंच बन सकेगी। चाहा गया रास्ता व वैकल्पिक रास्ता दोनो में कोई सरकारी निर्माण या पेड आदि नहीं है। उपरोक्त दोनो मार्ग ही न्यूनतम दूरी के है।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता के लिए तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट में रास्ता स्वीकृत करने लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

की है जिनकों प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय हर्जाना खारिज किया जावें

5. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार/भू.अभि.निरीक्षक/पटवार हल्का की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत काश्तकार को अत्यंत आवश्यकता होने पर रास्ता दिये जाने का प्रावधान है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा तहसीलदार रायसिंहनगर ने वैकल्पिक रास्ता को स्वीकृत करने की अनुशषां की है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा उन काश्तकारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नियोजित नहीं किया है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए पक्षकारान बनाया जाने के बाद ही न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी एवं उक्त रास्ते के मध्य श्मशान की भूमि भी आती है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि संमत नहीं हैं

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:53 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner